न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:–28 / 2024 तारीख रजू:–14.06.2024

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2024 / 51

पीठासीनअधिकारी :–दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. राजवन्ती देवी पत्नि हरिराम जाति मीना उम्र 52 साल निवासी रेल्वे स्टेशन, ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा हाल निवासी 15 रणथम्भौर रोड पटेल नगर ए जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. जसौदा पत्नि हनुमान जाति मीना निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाडा।
2. संतोष पत्नि हनुमान जाति मीना निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाडा।
3. तेजपाल सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति दरोगा, निवासी ईसरदा, तह.चौथ का बरवाडा।
4. पुष्पलता पत्नि गणपत सिंह जाति दरोगा, निवासी ईसरदा, तह.चौथ का बरवाडा।
5. राजलक्ष्मी पुत्री गणपत सिंह दरोगा, निवासी ईसरदा, तह.चौथ का बरवाडा।
6. सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चौथ का बरवाडा

–अप्रार्थीगण

उपस्थित–

वकील प्रार्थी:–श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी सं.1:– श्री दिनेश पारीक एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 2:–एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 26.12.2024

वकील अप्रार्थी सं.3, 4 व 5:– श्री जसपाल सिंह गुर्जर एडवोकेट

अप्रार्थी

निर्णय दिनांक:– 19.05.2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट

–: निर्णय :–

1. प्रकरण में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि

❖ प्रार्थिया रेल्वे स्टेशन ईसरदा की रहने वाली है तथा विपक्षीगण ग्राम ईसरदा के रहने वाले है। प्रार्थिया के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1703 रकबा 0.24 है0 खसरा नम्बर 1707 रकबा 0.63 है0 खसरा नम्बर 3650 रकबा 0.02 है0 खसरा नम्बर 3652 रकबा 0.25 है0 खसरा नम्बर 3 रकबा 0.04 है0 खसरा नम्बर 5531 / 3647 रकबा 0.03 है0 कुल रकबा 1.21 है0 ग्राम ईसरदा पटवार हल्का ईसरदा ए तहसील चौथ का बरवाडा में स्थित है जिस पर प्रार्थिया काबिज होकर निरन्तर काश्त कर अपने उपयोग व उपभोग में लेती चली आ रही है।

❖ विपक्षीगण निहायत ही चालाक किस्म के व्यक्ति है जो प्रार्थिया की कमजोरी का नाजाइज फायदा उठाकर प्रार्थिया की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.27 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

नम्बर 3650, 3652, 3653, 5531/3647 पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है जबकि उनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

❖ विपक्षीगण अपनी खातेदारी भूमि की आड़ में प्रार्थिया की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3650, 3652, 3653, 5531/3647 पर जबरदस्ती कब्जा करने लगे तब प्रार्थिया ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार, चौथ का बरवाडा के यहां आवेदन किया जिस पर दिनांक 05.06.2024 को पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर वहां उपस्थित व्यक्तियों की मोजूदगी में सीमाज्ञान किया जाकर मौके पर फर्द मौका (सीमाज्ञान) रिपोर्ट तैयार की गई तथा मौके पर निशानात कायम किए गये।

❖ विपक्षीगण जो कि एक झगड़ालू प्रवृति के चालाक व्यक्ति है जिन्होंने प्रार्थिया की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने के उपरान्त भी सन्तुष्ट नही होने एवं जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी देकर कहने लगे कि हम तो प्रार्थिया की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करके रहेंगे। इसलिए प्रार्थिया के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वो अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाकर अपनी खातेदारी भूमि की चारों और से सुरक्षा करवाये यही बिनाए कारण पैदा होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

❖ अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3650 रकबा 0.02 है0 खसरा नम्बर 3652 रकबा 0.25 है0 खसरा नम्बर 3653 रकबा 0.04है0 खसरा नम्बर 5531/3647 रकबा 0.03 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.34 है0 ग्राम ईसरदा पटवार हल्का ईसरदा ए तहसील चौथ का बरवाडा की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये गये।

3. वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना जवाब पेश किया है कि–

❖ अप्रार्थिया संख्या 1 उक्त काश्त आराजीयात अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के परिवार की नारंगी बेवा माधो जाति दरोगा निवासी रेलवे स्टेशन से दिनांक 11.05.2004 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खसरा नंबर 3647 रकबा 3.83 है0 कृषि भूमि में से 2.00 है0 भूमि खरीद की है। विक्रय पत्र के पेज संख्या 04 पर खरीदशुदा भूमि की सीमायें निम्न प्रकार दर्शाते हुए, जिसमें बेचान भूमि स्वयं विक्रेता का पुख्ता मकान से श्रीमति पांची देवी पत्नि घासीलाल माली का मकान एवं बनवारी लाल जी शर्मा के खेत की मेड़ तक खेत का रास्ता आम आने–जाने के लिए अशोक जैन निवासी [illegible] के [illegible] पटवारी के प्लाटों के बीच 20 फिट रास्ता जो भू–परिवर्तन के [illegible] दर्शाया गया है, रास्ता का उपयोग व उपभोग आप [illegible] यानि अप्रार्थी संख्या [illegible] श्रीमति जसोदा पत्नि हनुमान मीना करती रहेगी। यह [illegible] विक्रेता के [illegible] में नहीं रहेगा। जाटों के पीछे कोई गली नहीं है। यह सभी तथ्य विक्रय [illegible] दर्ज किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.27 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

❖ अप्रार्थी संख्या 01 ने एक वाद सिविल न्यायाधीश महोदय, सवाई माधोपुर के यहां पेश किया था, दर्ज रजिस्टर संख्या 113107 पर होकर, जिसका निर्णय दिनांक 05.01.2013 को होकर प्रार्थिया राजवन्ती को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया गया गया है, व रास्ता खुलासा रखने के आदेश जारी किये गये

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

हैं। जिसकी अपील माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, सवाई माधोपुर के यहां प्रार्थिया राजवन्ती ने पेश की थी, जिसको माननीय न्यायालय ने दिनांक 03.02.2016 को खारिज फरमा दी गई।

- ❖ निर्णय आदेश दिनांक 05.01.2013 न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय (क.ख.), सवाई माधोपुर ने मुताबिक मौका कमिश्नर रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी मौका नक्शा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया है, जिसमें प्लॉट नंबर 25, 26 के मध्य से रास्ता होते हुए प्लॉट 26,27,28 के दक्षिण में होते हुए खेत श्री बनवारी लाल जी के खेत के पूर्व दिशा की मेड़ के साथ 20 फिट छोड़ने हेतु पाबंद किया गया है।

- ❖ उक्त नक्शे मौका कमिश्नर के अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा के निर्णय की पालना माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, सवाई माधोपुर की इजराय संख्या 14/18 जसोदा बनाम नारंगी, जो कि बाद में ट्रांसफर होकर पत्रावली माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश चौथ का बरवाड़ा इजराय संख्या 01/21 में जारीशुदा वारंट/तहरीर की पालना में सहायक नाजिर ने दिनांक 04.10.2023 को विवादित रास्ता खुलवाया था, लेकिन प्रार्थिया ने फिर पुनः रास्ते की भूमि को काश्त कर ली है, जिसके लिए माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय के यहां अवहेलना हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जायेगा।

4. वकील अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 5 ने अपना जवाब पेश किया है कि–

- ❖ प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 की जानकारी अप्रार्थीगण को नही है। प्रार्थिया स्वयं अपनी खातेदारी की भूमि का रिकार्ड प्रस्तुत कर तथ्य को सिद्ध करें।

- ❖ अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 3650, 3652, 3653 व 5531/3647 पर जबरदस्ती कब्जा करने की मंशा नही रखते है इसके विपरीत प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3647 रकबा 2.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3644 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3645 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5545/3652 रकबा 0.0200 हैक्टेयर की काफी भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है।

- ❖ अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की आड़ में प्रार्थिया की भूमि खसरा नम्बर 3650, 3652, 3653 व 5531/3647 पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करना चाहते बल्कि पचासों वर्षों से जिस खातेदारी की भूमि जिन सीमाओं में काबिज है उस पर ही काश्त कर रहे है। दिनांक 05/06/2024 को अप्रार्थीगण की गैर मौजूदगी में यदि सीमाज्ञान किया गया है तो उसकी [illegible] नहीं है।

- ❖ अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने यदि प्रार्थिया की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है तो नियमानुसार बेदखली का दावा [illegible] करे तथा उन्हें बेदखल करावें और हमारी भूमि पर जो अवैध कब्जा कर रखा है उसे हमें दी जावें।

- ❖ हम अप्रार्थीगण के खिलाफ गलत व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हमने प्रार्थिया की जमीन पर कोई भी अतिक्रमण नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.27 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

किया है, न ही भविष्य में कोई मंशा रखते है। अप्रार्थीगण शान्ति प्रिय व्यक्ति है और वर्षों से निर्धारित भूमि पर ही काश्त करते चले आ रहे है।

❖ मौके पर यदि सही मुस्तकिल पाइंट लेकर भूमियों की नाप की गई तो हम अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या 410 की 0.3700 हैक्टेयर व खाता संख्या 411 की 2.3300 हैक्टेयर भूमि से कम भूमि पर कब्जा पाया जायेगा और प्रार्थिया व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का अतिक्रमण मौके पर साबित होगा।

5. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/06 दिनांक 07.1.2025 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की है जो निम्नानुसार है–

- जिसके अनुसार खसरा नम्बर मुताबिक राजस्व रिकार्ड के खातेदार राजवन्ती देवी पत्नि हरिराम हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा.रेलवे स्टेशन ईसरदा के नाम दर्ज है।
- उक्त खसरा नम्बरान् पर खातेदार का कब्जा काश्त है परन्तु सीमाओं पर विवाद है।
- उक्त खसरा नम्बरान् का पूर्व दिनांक 05.06.2024 को सीमाज्ञान किया जा चुका है परंतु प्रतिवादी जसौदा वगै. के द्वारा बार–बार विवाद किया जाता है। विवाद सीमाओं को लेकर किया जाता हैं।

6. हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 3650 रकबा 0.02 है0 खसरा नम्बर 3652 रकबा 0.25 है0 खसरा नम्बर 3653 रकबा 0.04 है0 खसरा नम्बर 5531/3647 रकबा 0.03 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.34 है0 की प्रार्थिया रिकॉर्डेड खातेदार है, जिसकी पुष्टि ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा की स्थायी जमाबंदी दिनांक 07.06.2024 से भी होती है। उभयपक्षों के मध्य सीमा संबंधी विवाद है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाड़ा के निर्णय दिनांक 05.01.2013 की प्रति अनुसार **"वादिया जसोदा को वादपत्र के संलग्न नक्शा में दिखाये गये कदीमी आम रास्ते (सड़क) 20 फुट, जो उत्तर से ईसरदा शिवाड़ सम्पर्क सड़क से वादिया के खेतों में कदीमी से आवागमन होता रहा है और वर्तमान में आवागमन हो रहा है, उसको प्रतिवादीगण अवरूद्ध नहीं करें न ही किसी प्रकार की काश्त करें न ही पत्थर आदि डालकर उक्त रास्ते को अवरूद्ध करे एवं सदैव की भांति आम रास्ते को आम रास्ते के रूप में खुलासा रखे।"** प्रार्थी के द्वारा भी दौराने बहस उक्त निर्णय से प्रमाणित रास्ते को छोड़ते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने की सहमति दी गई। अतः उक्त निर्णय में उल्लेखित 20 फुट का कदीमी रास्ता छोड़ते हुए पत्थरगढ़ी कराया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.27 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

–:आदेश:–

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि माननीय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, सवाई माधोपुर के द्वारा दीवानी वाद संख्या 113/2007 में पारित निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०

एवं डिक्री दिनांक 05.01.2013 में उल्लेखित 20 फिट कदीमी रास्ते को खुला रखते हुए राजस्व ग्राम ईसरदा के पटवार मण्डल ईसरदा ए के खसरा नंबर 3650 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 3652 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 3653 रकबा 0.04 है0 एवं खसरा नंबर 5531/3647 रकबा 0.03 है0 की शेष भूमि की पत्थरगढ़ी उपभयपक्षों की उपस्थिति में की जाये। प्रार्थी द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, सवाई माधोपुर के द्वारा दीवानी वाद संख्या 113/2007 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2013 की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को उपलब्ध करायी जाये। पत्थरगढ़ी करवाये जाने का नियमानुसार समस्त खर्चा प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा। निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 माध0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.27 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested